न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 357/2017
प्रविष्टि दिनांक 27.04.2017

1–राधेश्याम पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक राज0
2–गीता पुत्री रामनारायण जाति जाट निवासी डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक राज0
3–श्रीमति केसर देवी पत्नि रामनारायण जाति जाट डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक राज0

.... प्रार्थी

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री कृष्ण गोपाल शर्मा,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री राजेन्द्र कुमार बैरवा,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 09.10.2024

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम उस्मानपुरा आबाद तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 265/2 में 1800 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा बा–1 का निर्धारण किया गया है। अतः अवार्ड दिनांक 12.07.2010 को निरस्त कर अवाप्त शुद्धा भूमि का सिचिंत भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 1053/09 दिनांक 12.07.2010 तलब की गई। प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 265/2 मे से 1800 वर्गमीटर वाके ग्राम उस्मानपुरा आबाद मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बा–1 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। प्रार्थी सिचिंत भूमि की दर से मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नही है। अधिसूचना के समय भूमि की जो किस्म जमाबंदी मे अंकत थी,उसी के अनुरूप मुआवजा निर्धारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/बहस व अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.10.2024 को प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 1053/2009 दिनांक 12.07.2010 से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 265/2 मे से 1800 वर्गमीटर किस्म बा–1 का डी.एल.सी. दर से ग्राम उस्मानपुरा आबाद का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है।

अवार्ड पत्रावली मे संलग्न खसरा गिरदावरी सम्वंत 2065 वाके ग्राम उस्मानपुरा तहसील टोंक मे उक्त भूमि सिचिंत दर्ज है। प्रार्थी द्वारा सिचिंत भूमि का मुआवजा चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा सिचिंत भूमि बाबत दस्तावेजात के रूप मे अधिशाषी अभियन्ता नहर खण्ड II बिसलपुर परियोजना टोंक के कमाण्ड एरिया नहरी की फोटो प्रति पेश की, जिसमें ग्राम का नाम उस्मानपुरा आबाद, नहर का नाम डारडाहिन्द वितरीका, चक नं. 3dhd खसरा नम्बर 265/2 रकबा कमाण्ड CCA है. 0.77 अंकित है और साथ ही खसरा गिरदावरी सम्वंत 2061–2064 वाके ग्राम उस्मानपुरा प्रस्तुत की है, जिसमे खसरा नम्बर 265/2 मे सम्वंत 2061 मे फसल रबी मे सरसो नहरी सिंचित दर्ज है और सम्वंत 2062–2064 रबी मे सरसो सिंचित रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा दर्ज है। (उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 345 निर्णय दिनांक 06.04.2011 के जरिये विरासत रामनारायण के बजाये राधेश्याम पुत्र रामनारायण,गीता पुत्री रामनारायण व केसर पत्नि रामनारायण के रूप मे वाके ग्राम उस्मानपुरा आबाद जमाबंदी सम्वत 2065–2068 के खाते संख्या 59 से सिद्व है)प्रार्थी ने अपनी भूमि को बीसलपुर कमाण्ड क्षेत्र मे होना बताया है।

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान कर भवन अजमेर के परिपत्र संख्या 2/2004 के पैरा 3(च) के (ब) में "यदि असिंचित दर्ज है लेकिन गत चार वर्षो मे से दो या दो से अधिक वर्षो मे रबी की फसल ली गयी है तो भूमि को सिंचित मान कर मूल्यॉकन किया जावे" का उल्लेख है। प्रार्थी को बा–1 (असिंचित)की दर से मुआवजा दिया गया है, परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने गत चार वर्षो मे से दो वर्ष सरसो की फसल काश्त की है जो रबी की फसल है। ऐसी स्थिति मे कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 12.07.2010 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अ.जि.कलेक्टर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

फलतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पारित अवार्ड संख्या 1053/2009 दिनांक 12.07.2010 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारो की विधिवत सुनवाई कर, दस्तावेजात (अधिशाषी अभियन्ता नहर खण्ड II बिसलपुर परियोजना टोंक द्वारा जारी बुक व खसरा गिरदावरी तथा राज्य सरकार राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की अधिसूचना कमांकः एफ/19(5)राज/उप//2004 दिनांक 18.02.2006 द्वारा बीसलपुर कमाण्ड क्षेत्र घोषित किया गया है में अवाप्त भूमि स्थित है अथवा नही संबंधी) की जांच कर पुनः नियमानुसार अवार्ड पारित करे।

निर्णय आज दिनाक 09.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(डॉ.सौम्या झा)
आर्बीट्रेटर रा.रा.मा.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

आर्बीट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)